न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:– 93/2016

(223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. गोकल पुत्र श्री रामजीलाल जाति नाई निवासी अकबरपुर
2. श्रीमति शान्ति देवी पत्नि श्री गोकल जाति नाई निवासी ग्राम अकबरपुर तहसील व जिला अलवर।

बनाम ..... प्रतिवादी/अपीलांट

1. सत्य नारायण पुत्र श्री खैरातीलाल जाति लुहार निवासी ग्राम अकबरपुर तहसील व जिला अलवर
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अलवर .....वादी/असल रेस्पोडेण्ट

..... तकमीली प्रतिवादी/ रेस्पोडेण्टान

उपस्थित :–

1. श्री हीरालाल, अभिभाषक अपीलांट।
2. अभिभाषक रेस्पोडेण्ट अनुपस्थित।

::: निर्णय :::

दिनांक :–30.03.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 मातहत अदालत सहायक कलक्टर अलवर के कैम्प कोर्ट अबकरपुर के निर्णय दिनांक 11.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद में अंकित किया था कि ग्राम अकबरपुर में स्थित वादी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की विवादित आराजी खसरा नं. 563, 564 एवं 565 में से ख.नं. 563 व 565 के बीच तरफ पश्चिम की ओर सडक सरकारी पर पुलिया बनी हुई है, इस पुलिया से गांव का पानी व बरसात का पानी विवादित आराजी ख.नं. 566 सिवायचक व 565 के बीच में से ख.नं. 566 सिवायचक में होकर तरफ पूर्व को पुलिया से जयपुर रोड पर विवादित आराजी के हिस्से में से हाकर पर निकल जाता है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी ख. नं. 566 सिवायचक में मिट्टी डालकर, अतिक्रमण करके निर्माण करना चाहते है व भूमि को ऊंचा करना चाहते है। इससे वादी की विवादित आराजी ख.नं. 563, 564 व 565 में पानी भर जायेगा व आराजी में काश्त नहीं कर सकेगा। दिनांक 31.03.2016 को भी प्रतिवादीगण असल ने मिट्टी डालकर अतिक्रमण करने की धमकी दी।

तत्पश्चात वादी ने अतिक्रमण के सफल हो जाने और वादी को अपूरणीय क्षति हो जाने की संभावना पर मातहत अदालत सहायक कलक्टर अलवर के समक्ष दिनांक 01.04.2016 को प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि गांव से आने वाले प्रतिदिन के पानी एवं वर्षा के पानी को जो आराजी ख.नं. 563, 565 व 566 में से होकर जाता है, कभी नहीं रोकूंगा एवं वर्तमान में भी पानी का भाव जारी है। उभयपक्षों को सुनने के बाद विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कैम्प कोर्ट अकबरपुर में दिनांक 11.06.2016 को प्रतिवादीगण असल को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया कि विवादित आराजी ख. नं. 566 सिवायचक ग्राम अकबरपुर में नाजायज अतिक्रमण नहीं करें, मिट्टी डालकर आराजी को ऊंचा नहीं करें, ख.नं. 563, 565 व 566 में से होकर निकलने वाले गांव के प्रतिदिन के पानी एवं वर्षा के पानी को अवरूद्ध नहीं करें एवं पर्चा डिक्री जारी की। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण द्वारा अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय कैम्प कोर्ट अकबरपुर में अपीलांट के खिलाफ बाला बाला इकतरफा पारित किया है। प्रतिवादीगण अपीलांट को सुनवाई व जबाव प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया गया। अपीलांट प्रतिवादीगण को वाद की नकल भी नही दी गई, जिस कारण प्रतिवादी अपना पक्ष तहत अदालत में रखने में असमर्थ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जबावदावा पेश हुये दावा कैम्प कोर्ट अकबरपुर में सुनवाई हेतु रख लिया। आराजी खसरा नंबर 563, 564, 565 आबादी की जमीन है व खसरा नंबर 566 सिवायचक की भूमि है जो सरकारी भूमि है जिससे वादी का कोई सरोकार व वास्ता नही है। आबादी की जमीन के बारे में राजस्व न्यायालय को वाद श्रवण करने का कोई अधिकार नही है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना राजस्व अभिलेख का अध्यन किये मनमाने तौर पर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी प्रतिवादीगण की खरीदशुदा आबादी की आराजी है जिसके तरफ उत्तर को 10 फुट चौडा नाला है जिससे बरसात का पानी जा रहा है, नाले के तरफ दक्षिण की आबादी की जमीन प्रतिवादीगण अपीलांट की है जिसमें प्रतिवादीगण की रिहायश है व रिहायश के तरफ पूर्व की सडक सरकारी है जो अलवर से जयपुर को जाती है। आबादी की जमीन के बारे में वादी को राजस्व न्यायालय में दावा दायर करने का कोई अधिकार नही था एवं कानूनन आबादी भूमि के बारे में वाद अधीनस्थ न्यायालय के श्रवण योग्य नही होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य था। प्रतिवादीगण आराजी खसरा नंबर 566 को किसी प्रकार से ऊंचा नही कर रहे हैं, शुरू से ही जितना चौडा नाला है उतना ही मौके पर है उसमें प्रतिवादीगण किसी प्रकार का कोई अवरोध नही कर रहे हैं।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 05 लिमिटेशन एक्ट भी पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 05 लिमिटेशन एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की कोई सूचना नहीं दी, बल्कि उक्त निर्णय के बाद भी नियमित न्यायालय में पेशी लगती रही व प्रकरण में नियमित न्यायालय में दिनांक 18.11.16 को पेशी नियत थी, जिस दिन अपीलाण्ट को सर्वप्रथम उक्त निर्णय का पता चला। इस कारण अपीलांट को पूर्व में आलोच्य निर्णय व डिक्री की जानकारी नही थी, इसलिये समयावधि में अपील पेश नही की जा सकी। नेकनियति एवं युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा मियाद मुजरा दिये जाने योग्य है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में अपील के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया। अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण अपीलांट को सुनवाई व जबाव प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया गया। अपीलांट प्रतिवादीगण को वाद की नकल भी नही दी गई, जिस कारण प्रतिवादी अपना पक्ष तहत अदालत में रखने में असमर्थ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जबावदावा पेश हुये दावा कैम्प कोर्ट अकबरपुर में सुनवाई हेतु रख लिया। आराजी खसरा नंबर 563, 564, 565 आबादी की जमीन है व खसरा नंबर 566 सिवायचक की भूमि है जो सरकारी भूमि है जिससे वादी का कोई सरोकार व वास्ता नही है। आबादी की जमीन के बारे में राजस्व न्यायालय को वाद श्रवण करने का कोई अधिकार नही है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना राजस्व अभिलेख का अध्यन किये मनमाने तौर पर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी प्रतिवादीगण की खरीदशुदा आबादी की आराजी है जिसके तरफ उत्तर को 10 फुट चौडा नाला है जिससे बरसात का पानी जा रहा है, नाले के तरफ दक्षिण की आबादी की जमीन प्रतिवादीगण अपीलांट की है जिसमें प्रतिवादीगण की रिहायश है व रिहायश के तरफ पूर्व की सडक सरकारी है जो अलवर से जयपुर को जाती है। आबादी की जमीन के बारे में वादी को राजस्व न्यायालय में दावा दायर करने का कोई अधिकार नही था एवं कानूनन आबादी भूमि के बारे में वाद अधीनस्थ न्यायालय के श्रवण योग्य नही होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य था। प्रतिवादीगण आराजी खसरा नंबर 566 को किसी प्रकार से ऊंचा नही कर रहे हैं, शुरू से ही जितना चौडा नाला है उतना ही मौके पर है उसमें प्रतिवादीगण किसी प्रकार का कोई अवरोध नही कर रहे हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2019 निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपील के तथ्य तथा वाद के तथ्यों का अवलोकन किया गया और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2016 का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर मनन किया गया। विभिन्न न्यायालयों के निर्ण्य का निष्कर्ष है कि वाद का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए न कि तकनीकी आधार पर। इसके अतिरिक्त धारा 5 के साथ संलग्न शपथ पत्र पर भी अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 अन्तर्गत मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट्स की मातहत अदालत में उपस्थिति आदेशिका दिनांक 11.06.2016 पर अंकित है। इससे यह स्पष्ट है कि पक्षकारगण न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के कैम्प कोर्ट अकबरपुर में उपस्थित थे।

इसके अतिरिक्त आराजी खसरा नम्बर 566 वाके ग्राम अकबरपुर सम्वत् 2071–74 सिवायचक लागनी दर्ज है। विवादित आराजीयात में से होकर वादी/रेस्पो. की आराजी ख.नं. 563, 564 व 565 का प्राकृतिक निकासी है, जो अब्दुर्रहमान बनाम स्टेट प्रकरण से कवर होता है।

स्वयं अपीलाण्ट ने अपील मीमो के जिमन नं0 12 में अंकन किया है कि न तो नाला को ऊंचा और न ही संकरा कर रहा है और न ही प्रतिवादीगण को कोई अवरोध कर रहे है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी खसरा नम्बर 566 से अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण का संबंध नहीं होने से पानीं के प्राकृतिक बहाव की प्रकृति को यथावत रखने के लिए अदालत मातहत द्वारा जो आदेश कैम्प कोर्ट अकबरपुर दिनांक 11.06.2016 को दिया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। विद्धान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2016 को यथावत रखा जाता है। तदानुसार पर्चा–डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
30/3/21
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर